मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1–4–1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7–4–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 1-5-1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1–5–1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

1939 के ऐक्ट 4 में नयी धारा 43-ए का बढ़ाया जाना

2—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

परिवहन प्राधिकरणों को निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"43-ए—(1) राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक-हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 1–4–1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि सभी पात्र प्रार्थियों को यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र (ऐसे मार्गों या क्षेत्रों के सिवाय जिनके लिए धारा 68-सी के अधीन योजनायें प्रकाशित की गयी हों) या ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र देना लोक-हित में है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा तदनुसार निदेश जारी कर सकती है, और तदुपरान्त सभी परिवहन प्राधिकरण और धारा 64 के अधीन संघटित राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण भी तदर्थ सभी आवेदन-पत्रों, अपीलों और पुनरीक्षणों पर (जिसके अन्तर्गत विचाराधीन कोई आवेदन-पत्र, अपील तथा पुनरीक्षण भी हैं) इस प्रकार विचार तथा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो कि—

(क) धारा 47 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित ;

(बी) सेवा से, जिसकी व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों जिसके अन्तर्गत उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना और ऐसी सुविधा भी है जो व्यवधान-रहित यात्रा से मिले ;

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसा लाभ जिसकी सेवा से प्राप्त होने की सम्भावना हो;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।" ;

(2) उपधारा (3) निकाल दी गयी हो ;

(ख) धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"50—कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय, इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लोकहित में किस सीमा तक अतिरिक्त ठेका-गाड़ियां आवश्यक या वांछनीय हो सकती हैं, और किसी ऐसे अभ्यावेदन पर भी विचार करेगा जो उस सम्भाग के किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस आशय से तत्समय दिया जाय या पहिले ही दिया गया हो कि उन ठेका-गाड़ियों की संख्या, जिन के लिए अनुज्ञा-पत्र पहले दिये जा चुके हैं, सम्भाग या सम्भाग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं या आवश्यकता से अधिक हैं।";

(ग) धारा 55 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित ;

(बी) सेवा से, जिस की व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों और ऐसी सेवा की व्यवस्था से जनता को मिलने वाली सुविधा और उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना,

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी सेवा से मिलने वाले लाभ की सम्भावना;

(डी) ले जाये जाने वाले माल का प्रकार विशेष रूप से किसी भंगुर या शीघ्र नष्ट होने योग्य किसी माल के सन्दर्भ में;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।";

(2) उपधारा (2) निकाल दी गयी हो ;

(घ) धारा 57 में—

(1) उपधारा (3) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया हो,

(2) उपधारा (3), (4) और (5) में अभ्यावेदन देने वाले व्यक्तियों के अभिदेश अभ्यावेदन देने वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण का अभिदेश हो ;

(ङ) धारा 64 में—

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा गया हो —

"(एफ) जो ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण हो जिसने अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का विरोध किया हो, उसके दिये जाने अथवा तत्सम्बन्धी किसी शर्त से क्षुब्ध हो, या";

(2) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा गया हो:—

"**स्पष्टीकरण**—सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जब धारा 43-ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा धारा 63-ए की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अधीन कमीशन द्वारा जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया जाय और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से इस कारण क्षुब्ध हो कि वह ऐसे निदेशों के अनुरूप नहीं है, तो वह उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश के विरुद्ध, किन्तु इस प्रकार जारी किये गये निदेश के विरुद्ध नहीं, अपील कर सकता है।"

3—मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। **उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 9, 1972 का निरसन**

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०— 61 जनरल (लेग)—1972—1,877+50 (मे०)।